संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत : राजनाथ

▸ भारत ने कहा, नियमों का पालन देशों के लिए अनिवार्य

नई दिल्ली 14 अक्टूबर. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधारों की पुरजोर वकालत करते हुए कहा है कि विश्वास के संकट का सामना कर रही यह संस्था मौजूदा वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं होने के कारण चुनौतियों से निपटने में विफल रही है। रक्षा मंत्री ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ देश खुलेआम अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सिंह ने मंगलवार को यहां भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यह बात कही. सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र में शांति सैनिकों का योगदान देने वाले देशों के सेना प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पुराने बहुपक्षीय ढांचे पर सवाल उठाते हुए इसमें सुधारों की वकालत की.

उन्होंने कहा, हम आज की चुनौतियों का सामना पुराने बहुपक्षीय ढांचों से नहीं कर सकते. व्यापक सुधारों के बिना, संयुक्त राष्ट्र विश्वास के संकट का सामना कर रहा है. आज की परस्पर जुड़ी दुनिया के लिए, हमें एक सुधारित बहुपक्षवाद की आवश्यकता है, जो आज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे, सभी हितधारकों की आवाज बनें, समकालीन चुनौतियों का समाधान करे और मानव कल्याण पर केंद्रित हो. कुछ देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय नियमों की खुलेआम धज्जी उडाये जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत पुरानी अंतरराष्ट्रीय संरचनाओं में सुधार की वकालत करते हुए, अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूती से कायम रखने में मजबूती से खड़ा है. उन्होंने कहा, आजकल, कुछ देश खुलेआम अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

कुछ उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ अपने नियम बनाकर अगली सदी पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं. इन सबके बीच, भारत पुरानी अंतरराष्ट्रीय संरचनाओं में सुधार की वकालत करते हुए, अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूती से कायम रखने में मज़बूती से खड़ा है.

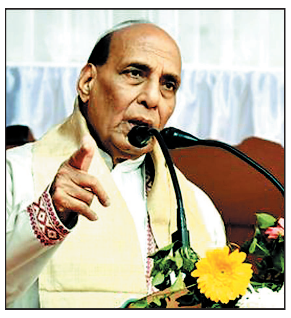

शांति और विकास के लिए करते हैं काम

राजनाथ ने कहा भारत के लिए सिर्फ बातचीत का विषय नहीं है. हजारों भारतीय संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले शांति और विकास के लिए काम करते हैं. यह एक प्रमुख उदाहरण है जो भारत के वादों को प्रदर्शन के साथ जोड़ने के सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. भारत के लिए शांति स्थापना कभी भी विकल्प का कार्य नहीं रहा है, बल्कि एक आस्था का विषय रहा है. उन्होंने कहा, अपनी स्वतंत्रता के आरंभ से ही, भारत अंतर्राष्टीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने मिशन में संयुक्त राष्ट्र के साथ दृढ़ता से खड़ा रहा है. सिंह ने कहा कि भारत महात्मा गांधी की भूमि है, जहां शांति हमारे अहिंसा और सत्य के दर्शन में गहराई से निहित है. महात्मा गांधी के लिए, शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं, बल्कि न्याय, सद्भाव और नैतिक शक्ति की एक सकारात्मक स्थिति थी.

> रक्षा मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप सैन्य योगदान देने वाले देशों की अधिक भूमिका की वकालत करने वाली एक आवाज है. उन्होंने कहा, जो लोग क्षेत्र में सेवा करते हैं और जोखिम उठाते हैं, उन्हें अपने मिशनों का मार्गदर्शन करने वाली नीतियों को आकार देने में एक सार्थक आवाज मिलनी चाहिए. सिंह ने कहा कि भारत मानता है कि शांति स्थापना की सफलता केवल संख्या पर ही नहीं, बल्कि तैयारियों पर भी निर्भर करती है. हमारे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ने 90 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है. यह केंद्र व्यापक परिदृश्य-आधारित शिक्षा प्रदान करता है इसमें सशस्त्र समूहों के साथ बातचीत, खतरे में मानवीय अभियानों और संकट के दौरान नागरिक सुरक्षा का अनुकरण शामिल है.

बीजेपी के 71 उम्मीदवार घोषित

पटना 14 अक्टूबर. बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.

इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. हालांकि, पार्टी की पहली लिस्ट में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और सिंगर मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है. बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया है. लिस्ट में अन्य प्रमुख नामों में रेणु देवी (बेतिया), प्रमोद कुमार सिन्हा (रक्सौल), श्यामबाबू प्रसाद यादव (पिपरा), नीतीश मिश्रा (झंझारपुर) समेत कई नेताओं को टिकट मिला है. इनके अलावा राम कृपाल यादव को दानापुर सीट से पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया है.

बीजेपी ने 10 विधायकों का टिकट काटा

बिहार में युवा उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया है. 10 विधायकों का टिकट कटा है. इनमें से 5 मंत्री रहे हैं. इनमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र सिंह, रामसूरत राय जैसे बड़े नेता शामिल हैं.

पश्चिम रेलवे - रतलाम

विभिन्न स्थानों पर आरयूबी के निर्माण के संबंध में टीआरडी कार्य

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर कर्षण विवरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे, निम्नलिखित कार्य हेतु **IREPS** पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करते है। **निविदा संख्या :** EL/TRD/58/2025-26/15. दिनांक : 09/10/2025, **कार्य का नाम :** रतलाम मंडल के आरटीएम -केएन डब्ल्यू खंड में विभिन्न स्थानों पर आरयूबी के निर्माण के संबंध में टीआरडी कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत :** ₹88,66,370.50/-, **बयाना राशि :** ₹1,77,300/-, **समापन अवधि :** 12 महीना। **निविदा दस्तावेज की राशि :** शून्य। **ऑनलाईन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय :** 04/11/2025 समय 15:00 बजे तक। **ऑफर की वैधता :** निविदा खुलने की दिनांक से 60 दिन। **वेबसाईट :** www.ireps.gov.in. **नोटिस बोर्ड :** वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजनीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने।

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर
SNP-288 पश्चिम रेलवे, रतलाम

हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

केजरीवाल को अंतिम सुनवाई का अवसर

▸ जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी बहस

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई.

जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस करने का आखिरी मौका दिया. अदालत ने यह आदेश केजरीवाल के वकील के बार-बार स्थगन पर आपत्ति जताने के बाद सुनाया. ईडी के वकील ने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त थे, लेकिन केजरीवाल के वकील ने इसे कड़ा विरोध किया. अदालत ने सुनवाई 10 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी. न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा कि न्याय के हित में और एजेंसी के वकील की अनुपस्थिति को देखते हुए ईडी को अंतिम अवसर दिया जा रहा है. अदालत ने सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि इस तारीख को बर्बाद न किया जाए और ईडी अपनी दलीलें प्रस्तुत करे. केजरीवाल ज़मानत पर हैं, सर्वोच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2024 के आदेश के अनुसार. 20 जून, 2024 को उन्हें निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने रोक दिया. केजरीवाल को ईडी और सीबीआई ने क्रमश: 21 मार्च और 26 जून, 2024 को धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया था.

बता दें 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश के बाद नीति को रद्द कर दिया गया. सीबीआई और ईडी के अनुसार, नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएँ हुईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पो. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यह आपको सूचित किया जाता है कि धरोहर ऋणकर्ता **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608, 609, छठवीं मंजिल, ब्लॉक-सी अंसल एम्पेरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली-110028 (इसके पश्चात 'एसएचडीएफसीएल' के रूप में संबोधित) द्वारा आपके ऋण खाते को एनपीए के तौर पर घोषित कर चुका है एवं एसएचडीएफसीएल के आपके ऋण खाते के विरूद्ध संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के उत्तरदायी है। आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध दर पर लागू भविष्य ब्याज के साथ प्रासंगिक व्यय, मूल्य, शुल्क आदि का भुगतान करने के उत्तरदायी है। इसलिए इस सूचना के दिनांक से 60 दिवस में एसएचडीएफसीएल को आपके संपूर्ण दायित्व का भुगतान करने के लिए आपको बुलाया जाता है असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल को कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। ऋणकर्ताओं एवं धरोहर संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. स.	ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	ऋणी का पता	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति
1	लोन नं. **0IDR2309000005068958,** विपिन सोनी, कमलाबाई	बिजासन टेकरी बदियाकीमा पानी की टंकी के पास इंदौर मध्य प्रदेश -452016	**13-09-2025 & Rs.6,91,147/-**	घर स्थित सर्वे नं. 482 पैकी रजिस्टर नामांकन नं. 09 प.न. 52, बिजासन टेकरी, गाँव बड़ियाकीमा, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 452016, क्षेत्रफल - 1852.5 वर्ग फीट, **चतुरसीमा** : पूर्व - विष्णु प्रजापत का घर, पश्चिम - अन्य घर, उत्तर - सड़क, दक्षिण - अन्य घर
2	लोन नं. **0IDR2312000005074330,** आसिफ शाह, नसीम बी	23 मंडलावदा, वार्ड 31 राम मंदिर के पास पीथमपुर मध्य प्रदेश -454775	**13-09-2025 & Rs.16,11,852/-**	सर्वे नं. 111/2/3/3 पैकी, प.न. 58/117, वार्ड नं. 31, ग्राम मदलाउडा, तहसील पीथमपुर जिला धार, मध्य प्रदेश - 454774, क्षेत्रफल-2500 वर्ग फीट, **चतुरसीमा** : पूर्व - कांजी लाठिया की भूमि, पश्चिम - कच्चा आम रास्ता, उत्तर - उसी सर्वे नं. का शेष भाग, दक्षिण - उत्तर - उसी सर्वे नं. का शेष भाग
3	लोन नं. **0IDR2401000005076385,** मोहम्मद शफीक, मोहम्मद रफीक	एस/ओ साबिर हुसैन, मकान नंबर 55, गीता नगर, हनफिया मस्जिद के पास इंदौर मध्य प्रदेश -452002	**20-09-2025 & Rs.6,35,552/-**	प्लॉट नं. 121 न्यू लक्ष्मी नगर खंड-बी, ग्राम सिरपुर तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 452001, क्षेत्रफल-600 वर्ग फीट, **चतुरसीमा** : पूर्व - प्लॉट नं.120, पश्चिम - प्लॉट नं. 122, उत्तर - कॉलोनी रोड, दक्षिण - अन्य भूमि

स्थान : गुडगाँव
दिनांक: 14-10-2025

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

रेल मंत्री वैष्णव ने रेलवे पार्सल वैन को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली 14 अक्टूबर. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को मुंबई से कोलकाता के बीच रेलवे पार्सल वैन और नयी दिल्ली से कोलकाता के बीच एश्योर्ड ट्रांजिट कंटेनर ट्रेन सेवा का उपयोग कर डोर-टू-डोर पार्सल सेवा को हरी झंडी दिखायी. वैष्णव ने रेल भवन में आयोजित समारोह के दौरान आभासी माध्यम से नयी दिल्लीङ्ककोलकाता के बीच सुनिश्चित ट्रांजिट कंटेनर ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखायी. इससे निश्चित रूप से 120 घंटे में वस्तुओं की आपूर्ति होगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और कोलकाता के बीच रेलवे पार्सल वैन द्वारा डोर-

टू-डोर पार्सल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे रसद की लागत में कमी आयेगी और तीव्र गति से आपूर्ति होगी. इस दौरान उन्होंने आभासी माध्यम से इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब के रूप में लखनऊ रेल मंडल के सोनिक स्थित रेलवे गुड्स शेड का उद्घाटन भी किया. इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के भिवंडी में पार्सल एकत्रीकरण सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया.

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

रेशम केन्द्र गौशाला ग्राम-खजुरिया

क्रमांक/ रेशम केन्द्र गौशाला/न.पा.नि./25-26/0293

निविदा विज्ञप्ति

इन्दौर
दिनांक : 13.10.2025

नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा आवारा/ निराश्रित गौवंश के निस्तारण व्यवस्था हेतु रेशम केन्द्र हातोद में गौशाला स्थापित की जाकर संचालन किया जा रहा है। नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा गौ-सेवा को धर्म मानते हुये उक्त गौशाला को स्थापित किया है, जिससे गौ-सेवा भाव से व्यवस्था की जा सके। नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा संचालित/संधारित रेशम केन्द्र गौशाला, ग्राम-खजुरिया, तहसील हातोद जिला इन्दौर में गौवंश के लिए पशु आहार **गेंहू भूसा** क्रय करने हेतु ऑनलाईन निविदा आंमत्रित की जाती है, प्रकाशित निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का नाम	विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित व्यय	अर्नेस्ट मनी	निविदा प्रपत्र का मूल्य
गौवंश के लिए **गेंहू भूसा** क्रय करने बाबद।	**गेंहू भूसा**	35000 क्विंटल (लगभग)	300.00 लाख	₹9,00,000/-	₹5,000/-

निविदा दिनांक एवं समय:

अ.क्र.	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरंभ दिनांक	14/10/2025
2.	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक	03/11/2025, शाम 18.00 बजे
3.	ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	03/11/2025, शाम 18.00 बजे
4.	ऑनलाइन तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक	04/11/2025, शाम 18.00 बजे
5.	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक	07/11/2025, शाम 18.00 बजे

नोट :
1. प्रकाशित निविदा Govt. of Madhya Pradesh e-Procurement System, https://www.mptenders.gov.in पर देखी एवं क्रय की जा सकती है।
2. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर सीधे ऑनलाइन प्रकाशित किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
3. निविदाकर्ताओं को वित्तीय निविदा प्रपत्र (Financial Bid) में निविदा देने वाली फर्म/संस्था/व्यक्ति का नाम, पता, बैंक ड्रॉफ्ट या बेंकर्स चेक नम्बर तथा भाव दर अंकित करने के उपरांत ही अपलोड करना होगी।

रेशम केन्द्र गौशाला
नगर पालिक निगम, इन्दौर

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
पीथमपुर शाखा: दुकान नंबर DUGF-46 और DUGF-47, संपत्ति नंबर 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स और संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, जिला-धार, म.प्र.
इंदौर अर्बन वर्चुअल शाखा:
इंदौर शाखा: प्लॉट नंबर 4 एवं 5, दुकान नंबर 105,107,109, पहली मंजिल, शेखर सेंट्रल, पलासिया स्क्वायर, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001
देवास शाखा: प्लॉट नंबर- 01, विमला टाउनर, दूसरी मंजिल, राम नगर, ए.बी. रोड, देवास-455001, मध्य प्रदेश
रतलाम शाखा: ग्राउंड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोरसमेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 05110000466 एवं 05110000517/पीथमपुर शाखा) नासीर खान (ऋणी) रुक्शाना बी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल श्रीनाथ टाउन भाटखेड़ी रोड, प्लॉट सी-461 का उत्तरी भाग, भाटखेड़ी, तहसील महू, इन्दौर., मध्यप्रदेश-453331 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- प्लॉट नं. सी-480, पश्चिम- कॉलोनी रोड, उत्तर- प्लॉट नं. सी-460, दक्षिण- समान प्लॉट का शेष भाग	**10-07-2025 & ₹ 11,79,450/-**	**10-10-2025**
2	(लोन कोड नं. 05100002518/ पीथमपुर शाखा) केशविंद कुर्मी (ऋणी) अरविन्द अहिरवार (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 7 4 7 5 एकता नगर, प्लॉट नं. 120-ए का भाग, 120-ए से ज्ञात, एकता नगर स्थित, बंजारी तहसील, महू जिला इन्दौर, म.प्र.-453441 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- प्लॉट नं. 120-सी, पश्चिम- कॉलोनी रोड, उत्तर- प्लॉट नं. 119, दक्षिण- प्लॉट नं. 120-बी	**10-07-2025 & ₹ 6,26,545/-**	**10-10-2025**
3	(लोन कोड नं. 545100000090 एवं 545100000092/इंदौर अर्बन वर्चुअल शाखा) तरूण कुमार दीक्षित (ऋणी) वरुण कुमार दीक्षित एवं रानू दीक्षित (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल एवं प्रथम मंजिल ज्ञानशीला होम्स (सुपर सिटी), ढाबली रोड, प्लॉट नं. एचई 30-B पर मकान, ढाबली इन्दौर, मध्यप्रदेश-453771 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- रोड, पश्चिम- यूनिट नं. जी.ई. -32 बी, उत्तर- यूनिट नं. H.I31-A, दक्षिण- यूनिट नं. H.I30-A	**14-07-2025 & ₹ 35,25,421/-**	**11-10-2025**
4	(लोन कोड नं. 02110000333/ देवास शाखा) प्रेमसिंह जाधव (ऋणी) रीना जाधव एवं सुभम जाधव (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, GF एवं FF बसंत विहार कॉलोनी से ज्ञात बघेल साहेब कॉलोनी, भोपाल रोड के अन्दर, वार्ड नं. 03, प्लॉट नं. 39-बी, सोनकच्छ, देवास, म.प्र. - 455118 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- प्रमोद जी भावसार का प्लॉट, पश्चिम- कॉलोनी का स्थानीय रास्ता, उत्तर- विक्रेता के प्लाट नं. 39-ए का शेष भाग, दक्षिण- सुशीला पति स्व. श्री जगदीश जी का मकान	**10-07-2025 & ₹ 18,01,561/-**	**11-10-2025**
5	(लोन कोड नं. 02100001449/ देवास शाखा) विकास चौहान (ऋणी) रमेश चंद्र चौहान एवं माया चौहान (सह-ऋणी) अनुराधा जी (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 694, 695, 696 पीपी, मकान. 18, वार्ड नं. 41, भैंरुगढ़ मोहल्ला जय भारत नगर सीनियर देवास, मध्यप्रदेश-455001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- सुरजमल पडियार का मकान, पश्चिम- श्रीमती आरती नीतेश वर्मा का मकान, उत्तर- गली, दक्षिण- रास्ता	**07-07-2025 & ₹ 2,35,015/-**	**11-10-2025**
6	(लोन कोड नं. 00300003169 / इंदौर शाखा) चांद खान (ऋणी) शबनम बी (सह-ऋणी) वसीम खान (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, फ्लैट नं. 202 से ज्ञात, द्वितीय मंजिल, अली अपार्टमेन्ट, एम. एच.न. 149/3, नया नं. 181/3, गली नं. 3, जुनारीसाला इन्दौर, मध्यप्रदेश-452001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- बेकलेन एवं नाला, पश्चिम- कॉमन पैसेज एवं सीढ़ियाँ, उत्तर- खुला छत एवं फ्लैट नं. 201, दक्षिण- मोहम्मद अल्ताफ खान का मकान	**07-07-2025 & ₹ 5,74,896/-**	**11-10-2025**
7	(लोन कोड नं. 00300001793 / इंदौर शाखा) तेजकरण खत्री (ऋणी) सुनीता बाई खत्री (सह-ऋणी) कपिल ओमप्रकाश कुशवाह (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं. 44 का भाग पुराना एवं 41 नया, उषा फाटक जेल रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश-452001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- संपत्ति का शेष भाग, पश्चिम- श्री किशोर खत्री का मकान, उत्तर- कालूराम कल्याणे का मकान, दक्षिण- दिलीप कल्याणे का मकान	**14-07-2025 & ₹ 6,25,597/-**	**11-10-2025**
8	(लोन कोड नं. 00300004419/ इंदौर शाखा) आशीष शर्मा (ऋणी) सीमा शर्मा (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, परदेशीपुरा, मकान नं. 68/2 E का भाग, पैकि परदेशीपुरा, गली रोड नं. 2, किराना दुकान एवं सार्थक एफ के पास, इन्दौर, मध्यप्रदेश-452001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- किशोरीलाल ठेकेदार का मकान, पश्चिम- प्लॉट का शेष भाग, उत्तर- नाली एवं रेडीमेड काम्पलेक्स, दक्षिण- सरकारी रोड	**07-07-2025 & ₹ 7,85,039/-**	**11-10-2025**
9	(लोन कोड नं. 02210000953/ रतलाम शाखा) असलम जारोरी (ऋणी) इशरा ताजक (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 90/2 की भूमि पर प्लॉट नं. 18 का पश्चिमी भाग, ग्राम राजगढ़ तहसील एवं जिला रतलाम-457001, म.प्र. **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- जानी बाई का मकान, पश्चिम- नाली, उत्तर- नाली, दक्षिण- रोड	**10-07-2025 & ₹ 15,56,698/-**	**13-10-2025**
10	(लोन कोड नं. 02210000901/ रतलाम शाखा) अनिल जाधव (ऋणी) आनंदी लाल जाधव एवं हेमलता लाल जाधव (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, GF एवं FF अष्ट विनायक रेसीडेन्सी, ग्राम राजगढ़ राज बाग कॉलोनी रोड, वार्ड नं. 07, प्लॉट नं. EWS - 20, रतलाम मध्यप्रदेश-457001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- प्लॉट नं. EWS - 21 पर निर्मित श्री लोकेन्द्र शर्मा का मकान, पश्चिम- प्लॉट नं. EWS - 19, उत्तर- रोड, दक्षिण- प्लॉट नं. EWS -01	**10-07-2025 & ₹ 19,03,067/-**	**13-10-2025**

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक 15.10.2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आज का इतिहास

1686 - मुग़ल शासक औरंगजेब ने बीजापुर के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर
1866 - कनाडा स्थित फ्रेंच बहुल क्षेत्र क्यूबेक में जबरदस्त आग लगने से 2500 मकान जलकर खाक।
1923 - वर्ष का पांचवा उष्ण कटिबंधीय तूफ़ान लीवर्ड द्वीप के उत्तर में आया।
1931 - भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जन्म।
1932 - टाटा कंपनी ने टाटा सन्स लिमिटेड नामक देश की पहली एयरलाइन की शुरुआत की।
1935 - टाटा एयरलाइन की पहली उड़ान।
1936 - दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का जन्म।

यूको बैंक UCO BANK (A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय, 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन: 0731-2438331, 2438305
फैक्स: 2438304, email: zo.indore@ucobank.co.in

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना
ई-नीलामी दिनांक 31.10.2025

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत)
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अर्न्तगत
सम्पत्ति के विक्रय की सार्वजनिक सूचना ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.10.2025 को सांयकाल 4 बजे तक या उसके पूर्व अचल सम्पत्ति की बिक्री जो बैंक के पास बंधक है
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002

जबकि **यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा धारा 13 (2) व सिक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है। बैंक कि बकाया राशि ब्याज सहित हेतु निम्न सम्पत्तियों को **जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधन** के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने मे असफल होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13 (4) के अन्तर्गत सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट द्वारा की जानी है।

क्रं.	शाखा	ऋणियों के नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिपत्य दिनांक	स्वायत शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य यथा / बयाना राशि	ईएमडी खाता क्रं., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	एमटीक्लॉथ मार्केट शाखा, इन्दौर	1. श्री संजय लालवानी पिता सुरेश लालवानी, 2. श्री सुरेश लालवानी पिता कुंदुमल लालवानी, 3. श्रीमती आशा लालवानी पति सुरेश लालवानी	**23,75,648** + ब्याज एवं अन्य खर्चे	30.08.24 / 08.11.24	पता नहीं	फ्लेट नं. 202, घरोन्दा अपार्टमेंट, गुरुनानक कॉलोनी, इन्दौर, **सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल: 894 वर्गफीट,** फ्लेट नं. 202, घरोन्दा अपार्टमेंट, गुरुनानक कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) पर स्थित, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 1, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 201, **पूर्व:** कॉमन पेसेज, **पश्चिम:** सड़क	रु. 32.35 लाख / रु. 3,23,500	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	31.10.2025 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)

आनलाईन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें: (1) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें (बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी)। **(2)** इच्छुक बोलीदाता के पास एक स्वयं की वैध सक्रिय ई-मेल आईडी और पैन होना चाहिए। **(3)** अपसेट प्राईस/रिजर्व प्राईस की 10% (ईएमडी राशि) राशि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाये गये वर्चुअल वॉलेट में भेजी जाना चाहिये और बकाया राशि निविदा फार्म मे स्पष्ट रुप से दर्शाई जाना चाहिए। **(4)** अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण अधिकार है की वह बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/रद्द करने का बिक्री की किसी भी नियम व शर्तों को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार है। **(5)** बिक्री सरफेसी संशोधित अधिनियम/नियम 2002 और शर्तों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। **(6)** बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य करने के उपरांत 25% प्रतिशत राशि (प्राथमिक राशि ईमएडी सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक बैंक के **खाता संख्या 22830210001462, यूको बैंक, आनंद बाज़ार शाखा, आईएफएससी कोड UCBA0002283** के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांन्सफर द्वारा जमा करनी होगी। **(7)** सफल बोलीकर्ता को अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने के 15 दिनो के भीतर बिड की बकाया राशि जमा कराना होगी यदि सफल बोलीकर्ता अपनी बकाया राशि उस अवधि के भीतर जमा करने में विफल होता है तो उस परिस्थिति में सम्पत्ति का पूनः विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब्त कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त उसे सम्पत्ति पर या उस सम्पत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा जिसे फिर से बेची गई है। **(8)** सम्पत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर **दिनांक 28.10.2025 को प्रात: 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी या विवरण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 0731-2438331, 2438305** से संपर्क किया जा सकता है। **(9)** यदि बिक्री 30 (तीस) दीनों की अवधि के लिये स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई शर्तें नहीं होगी। **(10)** बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट (अर्थात, **https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को बिक्री के नियम व शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने व समझने की सलाह दी जाती है। नीलामी सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधिन है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 15.10.2025

प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक